## **Insolvency and Bankruptcy Board of India**

No. IBBI/PR/2022/36 17<sup>th</sup> September, 2022

## Press Release

Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2016

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI/Board) notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)(Fourth Amendment) Regulations, 2016 (CIRP Regulations) on 16<sup>th</sup> September, 2022.

- 2. With the objective to maximise value in resolution, the amendment enables the resolution professional (RP) and the Committee of creditors (CoC) to issue request for resolution plan a second time for sale of one or more of assets of the corporate debtor (CD) in cases where no resolution plan has been received for the corporate debtor as a whole. It enables for a resolution plan to include sale of one or more assets of CD to one or more successful resolution applicants submitting resolution plans for such assets and providing for appropriate treatment of the remaining assets.
- 3. Further to improve the value received in the resolution plan, the amendment enables marketing of assets of the CD. It provides for formulating a strategy for marketing of assets of CD in consultation with the CoC to disseminate information about the asset to a wider and targeted audience of potential resolution applicants. The amendment also enables a longer time for the asset in the market as the invitation for expression of interest in Form G has been advanced to 60<sup>th</sup> day from insolvency commencement date (ICD). Changes have also been made to Form G to provide more relevant information to persons for expressing interest.
- 4. The amendment provides for the following changes to improve information availability to stakeholders:
  - (i) Changes timeline for filing application for preferential and other transactions on or before 130<sup>th</sup> day of ICD. It provides that a copy of application made regarding preferential and other transactions be shared with the prospective resolution applicants to enable them to account for such information while proposing the resolution plan.
  - (ii) Changes the timeline for submission of information memorandum to on or before 95<sup>th</sup> day from the ICD from 54<sup>th</sup> day. It also mandates that information memorandum should also include further relevant information such as operations of CD, financial statements, contingent liabilities, geographical coordinates of fixed assets, company overview. It also includes details of business evolution for CDs with asset size of more than Rs.100 crore.
- 5. With the aim to reduce delays in the process and enhance efficiency of available time the amendment the amendment enables the CoC to examine whether it wants to explore option of compromise or arrangement and file such recommendation with AA while applying to AA for liquidation order. In cases where it decides to explore, it should explore the option during the period, order for liquidation is awaited from the AA. The amendment

also introduces guiding factors that may be considered by CoC while making an early decision to liquidate the CD. It also provides that the reasons be recorded based on these factors and presented to AA as part of the application for liquidation.

- 6. The amendment also provides the following to make the resolution process more transparent and robust:
  - (i) A common email address be used throughout the CIRP, and Liquidation of a CD and this email needs to be handed over to the succeeding IP conducting the process.
  - (ii) The IRP/RP to communicate to the creditors of corporate debtor (CD), as per the last available books of accounts, the public announcement and invite claims through post or electronic means.
  - (iii) It has been clarified that a meeting of COC can be convened till resolution plan is approved or an order for liquidation is passed and matters which do not affect the resolution plan can be decided upon.
- 7. The amended regulations are effective from 16.09.2022. These are available at <a href="https://www.ibbi.gov.in">www.ibbi.gov.in</a>.

\*\*\*

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं.आईबीबीआई/पीआर/2022/36 17 सितंबर, 2022

## प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2016 में संशोधन किया है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई/बोर्ड) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 (सीआईआरपी विनियम) को 16 सितंबर, 2022 को अधिसूचित किया है।

- 2. संकल्प में मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से, संशोधन समाधान व्यवसायी (आरपी) और लेनदारों की समिति (सीओसी) को ऐसे मामलों में जहां कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) के लिए कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है, सीडी एक या एक से अधिक संपत्ति की बिक्री के लिए दूसरी बार समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने में सक्षम बनाता है। यह एक या एक से अधिक सफल समाधान आवेदकों को सीडी की एक या एक से अधिक संपत्तियों की बिक्री को शामिल करने के लिए एक संकल्प योजना के लिए सक्षम बनाता है जो ऐसी संपत्तियों के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करे और शेष परिसम्पत्तियों के समुचित प्रावधान करे।
- 3. इसके अलावा समाधान योजना में प्राप्त मूल्य में सुधार करने के लिए, संशोधन सीडी की पिरसंपितयों के विपणन को सक्षम बनाता है। यह सीओसी के परामर्श से सीडी की संपित के विपणन हेतु एक रणनीति तैयार करने एवं संपित के बारे में जानकारी संभावित समाधान आवेदकों को प्रसारित करने का प्रावधान करता है। संशोधन, बाजार से सीडी की पिरसंपितयों में अभिव्यक्ति करने को लंबा समय प्रदान करता है क्योंकि फॉर्म जी में रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण अविध आईसीडी से 60 वें दिन तक बढ़ा दिया गया है। व्यक्तियों को रुचि की अभिव्यक्ति हेतु अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए फॉर्म जी में भी परिवर्तन किए गए हैं।
- 4. संशोधन में हितधारकों के लिए सूचना उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रावधान है:
- (i) आईसीडी के 130वें दिन या उससे पहले अधिमान्य और अन्य लेनदेन के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा में परिवर्तन। संशोधन यह प्रावधान करता है कि तरजीही और अन्य लेनदेन के संबंध में किए गए आवेदन की एक प्रति संभावित समाधान आवेदकों के साथ

साझा की जाए ताकि वे समाधान योजना का प्रस्ताव करते समय ऐसी जानकारी के लिए उचित प्रावधान कर सकें।

- (ii) ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय-सीमा आईसीडी के 54वें दिन से 95वें दिन या उससे पहले परिवर्तित करता है। संसोधन यह भी अनिवार्य करता है कि सूचना ज्ञापन में आगे की प्रासंगिक जानकारी भी शामिल होनी चाहिए जैसे कि सीडी का संचालन, वितीय विवरण, आकस्मिक देनदारियां, अचल संपत्तियों के भौगोलिक निर्देशांक एवं कंपनी का अवलोकन। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के आकार वाली सीडी के लिए व्यावसायिक विकास का विवरण भी शामिल है।
- 5. प्रक्रिया में देरी को कम करने और उपलब्ध समय की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधन सीओसी को यह जांचने में सक्षम बनाता है कि क्या वह समझौता व्यवस्था के विकल्प का पता लगाना चाहता है और एए के साथ समापन आदेश के लिए आवेदन करते समय एए के साथ ऐसी सिफारिश दर्ज करना चाहता है। ऐसे मामलों में, जहां यह पता लगाने का फैसला करता है, उसे उस अवधि के दौरान विकल्प तलाशना चाहिए, जिस अवधि में एए से समापन के आदेश की प्रतीक्षा हो। संशोधन में मार्गदर्शक कारक भी शामिल हैं जिन पर सीओसी द्वारा सीडी को समाप्त करने का शीघ्र निर्णय लेते समय विचार किया जा सकता है। संशोधन यह भी प्रावधान करता है कि इन कारकों के आधार पर कारणों को दर्ज किया जाए और समापन के लिए आवेदन के हिस्से के रूप में एए को प्रस्तृत किया जाए।
- 6. समाधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए संशोधन निम्नलिखित भी प्रदान करता है:
- (i) एक समान ईमेल पते का उपयोग पूरे सीआईआरपी (CIRP) और सीडी के समापन प्रकिया के दौरान उपयोग करने एवं इस ईमेल को प्रक्रिया का संचालन करने वाले उत्तराधिकारी ईपी को सौंपना |
- (ii) आईआरपी/आरपी कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) के लेनदारों को अंतिम उपलब्ध खातों की पुस्तकों के अनुसार, सार्वजनिक घोषणा एवं दावों को डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दावों को आमंत्रित करना |
- (iii) यह स्पष्ट किया गया है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) की बैठक तब तक बुलाई जा सकती है जब तक कि समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है या समापन का आदेश पारित नहीं किया जाता है और जो मामले समाधान योजना को प्रभावित नहीं करते हैं उन पर निर्णय लिया जा सकता है।
- 7. संशोधित विनियम 16.09.2022 से प्रभावी हैं। ये www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।